FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0116 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/05/2026 19:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 06/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 20:25 बजे **Time To (समय तक):** 10:42 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/05/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/05/2026 19:16:08 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 110 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** MAIN ROAD,, SUDARPURA DHADA, TEHSIL PAOTA, JILA KOTPUTLI-BEHROR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMJILAL YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ROHITASH YADAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHAINSLANA DHANA SUKHWALI, PAOTA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHAINSLANA DHANA SUKHWALI, PAOTA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRAMOD SAMRIYA		पिता:GOKUL SAMRIYA	1. NAVAL KUSHALPURA POST NARHERA,KOTPUTLI,कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री रामजीलाल यादव पुत्र श्री रोहिताश यादव उम्र 35 साल जाति अहिर निवासी भैसलाना,ढाणा सुखावाली तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड ने दिनांक 28.04.2026 को समय 08.25 पी. एम. पर अपने मोबाईल नम्बर से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबईल नम्बर पर कॉल कर बताया कि साहब मै रामजीलाल यादव पुत्र श्री रोहिताश यादव निवासी भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड का निवासी हूँ। मेरे पिताजी की पैतृक जमीन का बटवारा एस0डी0एम0 कोर्ट में पॉच छः वर्ष से चल रहा था जिसका निर्णय एस0डी0एम0 ने हमारे पक्ष में 20.06.2025 को जारी कर मेरे हल्के के पटवारी श्री प्रमोद सामरिया को कुरेजात रिपोर्ट बनाकर आगामी दिनांक 24.07.2025 से पूर्व पेश करने को कहा गया था, लेकिन पटवारी जी ने रिपोर्ट अब तक कोर्ट में पेश नही की है। जिस पर मै पटवारी से मिला तो उन्होने मेरे से रिपोर्ट बनाकर एस0डी0एम0 कोर्ट में पेश करने की एवज में मेरे से एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की तथा नही देने पर रिपोर्ट नही बनाना एंव मेरे नाम की जमीन में से थर्ड पार्टी को रास्ता काटकर देने की धमकी दी है। मै मेरे जायज काम के लिए पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उसको रिश्वत लेते रगें हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उससे कोई दुश्मनी, रंजिश व उधार का लेन देन बाकी नही है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। तत्पश्चात परिवादी से जरिये कॉल हुई वार्ता अनुसार मामला रिश्वत के लेन देन का पाये जाने पर परिवादी को गोपनीय मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में बताया गया तथा कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त तथ्यों का प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए कहा गया। इस पर परिवादी ने बताया कि साहब मुझे कल दिनांक 29.04.2026 को सुबह पटवारी ने अपने पास बुलाया है और मुझे आपके कार्यालय में आने में समय लगेगा आप अपने किसी कर्मचारी को मेरे पास सुबह 09.00 एएम पर बस स्टेण्ड कोटपुतली पर भेज देना मै उनको इस आश्य का प्रार्थना पत्र पेश कर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दुगॅा। परिवादी की बातों को सही मानते हुये दिनांक 29.04.2026 को समय 06.00 एएम पर कार्यालय की आलमारी से श्री लल्लूराम कानि0 को विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर मैक सोनी व एक नया एसडी कार्ड 32 जीबी निकालकर दोनों को खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाकर 09.00 एएम पर बस स्टेण्ड कोटपुतली पर परिवादी से मिलने व परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मांग सत्यापन हेतु वाईस रिकॉर्डर परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समक्षाकर उसमें नया एसडी कार्ड डालकर दोनों को खाली होना सुनिश्चित कर जरिये फर्द सुपुर्द कर मांग सत्यापन की कार्यवाही के दौरान परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास भिजवाने से पूर्व वाईस रिकॉर्डर परिवादी को चालूकर देने एंव बाद मांग सत्यापन कार्यवाही के कार्यालय में उपस्थित होने पर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश करने के लिए कहा जाकर मांग सत्यापन हेतु बस स्टेण्ड कोटपुतली के लिए रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 03.00 पीएम पर श्री लल्लूराम कानि0 487 ने अपने मोबाईल नम्बर से मन उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता कर बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 10.00 एएम पर कोटपुतली बस स्टेण्ड पर पहुँचा, जहा पर परिवादी से उसके मोबाईल पर सम्पर्क किया। तत्पश्चात परिवादी मेरे पास उपस्थित आने पर मैने परिवादी से परिचय कर परिवादी से कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर परिवादी को विभागीय वाईस रिकॉर्ड को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर विभागीय वाईस रिकॉर्ड में नया एसडी कार्ड 32 जीबी डालकर वाईस रिकॉर्डर व एसडी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को जरिये फर्द सुपुर्द किया गया। इसके बाद मै और परिवादी उसकी मोटर साईकिल से कोटपुतली से रवाना होकर समय करीब 02.00 पीएम पर ग्राम भैसलाना में ग्राम पंचायत भवन के पीछे कॉपरेटिव सोसायटी भवन के नजदीक पहुँचे, जहा पर मैने परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालूकर दिया जाकर परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास रवाना किया गया तथा मै उक्त भवन के बाहर ही परिवादी पर नजर रखते हुये परिवादी का इन्तजार करने लगा। समय करीब 02.30 पीएम पर परिवादी बाद मांग सत्यापन मेरे पास आया और मुझे वाईस रिकॉर्डर पेश किया जो मैने बन्द कर अपने कब्जे में लिया। तत्पश्चात परिवादी ने मुझे बताया कि मुझे पटवारी प्रमोद सामरिया कॉपरेटिव सोसायटी भवन में कार्य करता हुआ मिला, जिसको मैने नमस्कार कर अपने कार्य बाबत बात की तो पटवारी ने मेरे से मेरी कुरेजात रिपोर्ट एस0डी0एम0 कोर्ट में पेश करने के लिए एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की। इस पर मेरे द्वारा उनसे कम करवाने के लिए विनती की तो वह 80 हजार रूपये देने की कहकर उक्त रिश्वत राशि मेरे से तीन किस्तो में देने के लिए सहमत होकर

पहली किस्त में 40 हजार रूपये लेने तथा शेष 40 हजार रूपये दो किस्तो में देने के लिए कहा। मैने उससे मेरी हुई सभी बातों को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है तथा पहली किस्त के 40 हजार रूपये उनको चार पॉच दिन में देने के लिए कहा है। इस पर परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने कानि0 द्वारा बताई गई बातों की ताईद की। इसके बाद परिवादी ने बताया कि साहब मुझे घर पर कार्य है तथा पटवारी को रिश्वत राशि की पहली किस्त भी चार पॉच दिन में देनी है मै पैसे कि व्यवस्था करके दिनांक 05.05.2026 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊगां। इस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि 40,000 रूपये अपने साथ लेकर दिनांक 05.05.2026 को समय 06.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदयत दी गई तथा कानि0 लल्लूराम को परिवादी को वही से उसके निवास स्थान के लिए रवाना कर कार्यालय में उपस्थित की मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 07.00पीएम श्री लल्लूराम कानि0 बाद मांग सत्यापन कार्यवाही के कार्यालय में उपस्थित आया एंव मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री रामजीलाल यादव द्वारा कार्यवाही हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र व मांग सत्यापन का वाईस रिकॉर्डर पेश कर पूर्व में जरिये वाट्सअप कॉल बताई गई बाते बताई। मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थना पत्र परिवादी द्वारा जरिये कॉल कर बताये गये तथ्यों से सम्बन्धित होना पाया गया, जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मांग सत्यापन के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चालूकर सूना गया तो वार्ता में परिवादी व कानि0 लल्लूराम द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सअप कॉल बताई गई बातो की ताईद होना व संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से उसकी पैतृक जमीन बटवारे के लिए कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर एस0डी0एम0 कोर्ट में पेश करने के लिए एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी द्वारा कम करवाने के लिए विनती करने पर 80 हजार रूपये की मांग कर उक्त रिश्वत राशि तीन किस्तो में देने के लिए सहमत होकर पहली किस्त में 40 हजार रूपये लेने तथा शेष 40 हजार रूपये दो किस्तो में देने के लिए कहना तथा पहली किस्त के 40 हजार रूपये परिवादी से चार पॉच दिन में लेने के लिए सहमत होना स्पष्ट रूप से पाया गया। वाईस रिकॉर्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर ताला लगाया गया। इसके बाद दिनांक 04.05.2026 को समय करीब 05.00 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह तलबी बाबत महाप्रबन्धक जिला उधोग एंव वाणिज्य केन्द्र भिवाडी के नाम कार्यालय पत्र जारी कर श्री सतीश कुमार हेड कानि0 को हमराह देकर कार्यालय जिला उधोग एंव वाणिज्य केन्द्र भिवाडी के लिए रवाना किया जो समय करीब 06.00 पीएम पर मय दो स्वतन्त्र गवाह हमराह लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान से मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिचय किया तो एक ने अपना नाम राकेश कुमार गुर्जर, जिला उधोग एंव वाणिज्य अधिकारी भिवाडी एंव दूसरे ने अपना नाम राहुल सैनी वरिष्ठ सहायक होना बताया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 05.05.2026 को समय 06.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 05.05.2026 को समय करीब 06.00 एएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री रामजीलाल यादव कार्यालय में उपस्थित आया, जिससे मन उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः परिचय किया गया तो अपना नाम रामजीलाल यादव पुत्र श्री रोहिताश यादव उम्र 35 साल जाति अहीर निवासी भैसलाना, ढाणी सुखावाली, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड होना बताया। तत्पश्चात परिवादी को उसके लिखित प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यो के बारे में पूछा तो उसमें अकिंत सभी तथ्य सही होना एंव लिखित रिपोर्ट अपनी हस्त लिखित होना बताया। इसके बाद परिवादी को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 40,000 रूपये बाबत पूछा गया तो परिवादी ने 15,000 रूपये की ही व्यवस्था होना तथा उक्त 15,000 रूपये अपने पास होना तथा साथ ही शेष 25 हजार रूपये के डमी नोट अपने पास होना बताया। तत्पश्चात समय करीब 06.10 एएम पर पूर्व के पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री राकेश कुमार गुर्जर जिला उधोग एंव वाणिज्य अधिकारी व श्री राहुल सैनी वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला उधोग एंव वाणिज्य केन्द्र भिवाडी कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान से मन उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः परिचय कर कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री रामजीलाल यादव से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 29.04.2026 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना एंव प्रार्थना पत्र अपना हस्त लिखित होना बताया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर उसके प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी, पटवार हल्का भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता को परिवादी ने विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 29.04.2026 को टेप किया गया था एंव जिसको दिनांक 29.04.2026 को चालूकर सुनकर वापिस बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला गया व वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के लैपटाप की सहायता से लैपटॉप में टेबिल स्पीकर लगाकर सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री रामजीलाल यादव द्वारा अपनी

आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी, पटवार हल्का भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 32GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर से लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री राजवीर सिंह कानि0 से बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व वाईस रिकॉर्डर की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैश वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद तीनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर मार्का A.1, A.2 व A.3 अंकित किया जाकर मार्क A.1 व A.2 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी तथा सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क A.3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। उक्त प्रक्रिया के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। इसके बाद मूल एसडी कार्ड को प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखवाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। जिसकी फर्द पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 10.00 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रामजीलाल यादव पुत्र श्री रोहिताश यादव निवासी भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के व 500-500 रूपये के 50 नोट भारतीय मनोरजंन लिखे डमी नोट 25, 000 रूपये कुल 40,000 मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये। जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अकिंत कर नोटों के नम्बर मन् पुलिस उप अधीक्षक एंव उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। परिवादी द्वारा पेश शुदा भारतीय चलन मुद्रा व भारतीय मनोरजंन लिखे हुये डमी नोटों पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त भारतीय चलन मुद्रा के 15,000/- रूपये व 25,000 रूपये के डमी नोट एंव प्लास्टिक की पोलीथीन की थैली में रखकर उन पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रामजीलाल यादव की जामा तलाशी गवाह श्री राकेश कुमार से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त भारतीय चलन मुद्रा के 15,000/-रूपये व 25,000 रूपये के डमी नोटो को श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 से पोलीथीन की थैली में रखवाकर नोटों को थैली सहित परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बॉई जेब में रखवाये गये एंव परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाऊडर युक्त राशि उसे देवे, और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से काल/मिस कॉल देकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया है, के दाहिने हाथ की अगुँलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान तथा हाजरिन् को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाईडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण की है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव डिस्पोजल गिलास को जलवा कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात पाऊडर लगाने वाले श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एंव ट्रैप पार्टी के सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने

दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया 32 जीबी सेनडिस्क एसडी कार्ड डालकर वाईस रिकार्डर को परिवादी को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजीटल वाईस टेपरिकार्डर पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 11.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27,श्री लल्लूराम कानि, परिवादी श्री रामजीलाल यादव व गवाह श्री राकेश कुमार के सरकारी वाहन मय ड्राईवर इन्द्रजीत के एंव स्टाफ सदस्य श्री राजवीर सिंह कानि0, श्री शहरून कानि0, श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 व गवाह श्री राहुल सैनी प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय भिवाडी से एसीबी कार्यालय कोटपुतली के लिए रवाना होकर समय करीब 01.00 पीएम मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी कार्यालय कोटपुतली पर पहुँचे, जहा पर वाहनों को रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी व स्टाफ सदस्यों को वाहनों से नीचें उतारकर कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात परिवादी को आरोपी की लोकेशन जानने के लिए कहा गया तो परिवादी ने आरोपी से उसके मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि साहब पटवारी जी पत्थर गढी में गये हुये है और उन्होने मुझे कहा है कि मै आज शामः तक यही रहुगां, आप पॉच बजे के आस पास एक बार बात कर लेना यदि मै फ्री हो जाऊंगा तो मिल लेगें नही तो कल मिलेगें। इस पर परिवादी व स्टाफ सदस्यों को कार्यालय में ही मूकीम रखा गया। समय करीब 05.05 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के बताये अनुसार उसको आरोपी के द्वारा दिये गये समय पर उसकी लोकेशन जानने के लिए लिए कहा गया तो परिवादी ने आरोपी से उसके मोबाईल पर कॉल कर बताया कि साहब पटवारी जी मेरा कॉल रिसीव नही कर रहे है और शायद वह अभी भी पत्थर गढी में ही है। उनके पूर्व बताये अनुसार वह अब कल ही मिलेगे। इस पर परिवादी के कहे अनुसार आरोपी कल दिनांक 06.05.2026 को मिलने पर आज कार्यवाही सम्भव नही होने पर परिवादी से रिश्वत राशि 15,000 रूपये नम्बरी भारतीय चलन मुद्रा एंव 25,000 रूपये की भारतीय मनोरजंन लिखे डमी नोट मय प्लास्टिक पोलीथीन की थैली सहित उसकी पेन्ट की जेब से निकलवाकर एक खाकी लिफाफे में रखवाकर श्री शहरून कानि0 को दिलवाकर सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी से वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को दिनांक 06.05.2026 को समय 08.00 एएम पर एसीबी कार्यालय कोटपुतली में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर उसके निवास स्थान के लिए रवाना किया तथा बाकी ट्रेप पार्टी सदस्यों को दोनों वाहनों में बैठाकर मय ट्रेप बाक्स व आवश्यक स्टेशनरी एंव सामान को हमराह लेकर एसीबी कार्यालय भिवाडी के लिए रवाना होकर समय करीब 07.00 पीएम पर मय महराहियान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी कार्यालय भिवाडी पर उपस्थित आया । ट्रेप बाक्स को श्री सतीश कुमार हैड कानि0 के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया तथा श्री शहरून कानि0 के पास रखवाई गई रिश्वत राशि फिनालफैथलीन पाऊडर युक्त को सुरक्षित मालखाने की आलमारी में रखवाई गई। तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 06.05.2026 को समय 06.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया साथ ही स्टाफ सदस्यों का भी सुबह 06.00 एएम पर तैयार रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 06.05.2026 को समय करीब 06.00 एएम पर पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये जिनके समक्ष श्री सतीश कुमार हैड कानि0 से मालखाना से ट्रेप बाक्स निकलवाकर तथा दिनांक 05.05.2026 को कार्यालय में उपस्थित होने पर श्री शहरून कानि0 से खाकी लिफाफे में सुरक्षा की दृष्टि से मालखाने में रखवाई गई रिश्वत राशि फिनालफथैलीन पाऊडर युक्त 15,000 रूपये नम्बरी भारतीय चलन मुद्रा एंव 25,000 रूपये की भारतीय मनोरजंन लिखे डमी नोट मय प्लास्टिक पोलीथीन की थैली सहित श्री सतीश कुमार हैड कानि0 के पास रखवाकर मय स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री राजवीर सिंह कानि0, श्री लल्लूराम कानि व गवाह श्री राकेश कुमार के सरकारी वाहन मय ड्राईवर इन्द्रजीत के एंव स्टाफ सदस्य श्री सतीश कुमार हैड कानि0, श्री शहरून कानि0, श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 व गवाह श्री राहुल सैनी प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय भिवाडी के लॉक लगवाया जाकर वहा से एसीबी कार्यालय कोटपुतली के लिए रवाना होकर समय करीब 08.15 एएम पर मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा एसीबी कार्यालय कोटपुतली पर पहुँचे, जहा पर वाहनों को रोड के एक साईड में खडा करवाकर स्टाफ सदस्यों को वाहनों से नीचें उतारकर कार्यालय में बैठाया गया। जहा पर परिवादी कार्यालय में उपस्थित मिला। तत्पश्चात समय करीब 08.30 एएम पर परिवादी को आरोपी की लोकेशन जानने के लिए कहा गया तो परिवादी ने आरोपी से उसके मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि साहब पटवारी जी ने मुझे 10.30 एएम के आस पास मिरापुर फार्म चौक पर बुलाया है। इस पर परिवादी अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री सतीश कुमार हैड कानि0 से फिनालफथैलीन युक्त रिश्वत राशि मय प्लास्टिक पोलीथीन थैली सहित परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बाई जेब में रखवाई तथा ट्रेप बाक्स से वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर वक्त रिश्वत लेन देने के समय परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु मय एसडी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी को रिश्वत राशि का पूर्व में दिया गया निर्धारित ईशारा पुनः बताया गया। तत्पश्चात परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई कि जब तक उक्त रिश्वत राशि के हाथ नही लगाये जब तक आरोपी मांग कर प्राप्त नही कर ले, तथा आरोपी के प्राप्त करने पर

ध्यान रखे कि वह रिश्वत राशि को प्राप्त कर कहा रखता है। तत्पश्चात ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करे। तत्पश्चात समय करीब 08.40 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्य श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री राजवीर सिंह, व गवाह श्री राकेश कुमार के सरकारी वाहन मय ड्राईवर इन्द्रजीत के एंव स्टाफ सदस्य श्री शहरून कानि0, श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि0 व गवाह श्री राहुल सैनी प्राईवेट वाहन से तथा परिवादी श्री रामजीलाल यादव व श्री लल्लूराम कानि0 के परिवादी की मोटरसाईकिल से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी कार्यालय कोटपुतली से मिरापुर फार्म चौक के लिए रवाना होकर समय करीब 10.15 एएम पर मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मिरापुर फार्म चौक के नजदीक भीड भाड वाली जगह पर पहुँचे, जहा पर दोनों वाहनों को रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से नीचे उतारकर चौक पर खडा किया जाकर कानि0 लल्लूराम व परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने से पूर्व वाईस रिकॉर्डर को चालू करने की हिदायत दी गई तथा मन उप अधीक्षक पुलिस व बाकी स्टाफ सदस्य भी वाहनो सें नीचे उतारकर उक्त चौक पर अपनी-2 उपस्थिति छुपातें हुये खडे होकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय करीब 10.30 एएम पर मिरापुर फार्म चौक पर परिवादी के पास एक व्यक्ति जीन्स की पेन्ट व टी-शर्ट पहने हुआ आया और परिवादी से कुछ वार्ता कर परिवादी की मोटर साईकिल पर बैठकर सुदरपुरा ढाडा रोड पर रवाना हुये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस भी स्टाफ सदस्यों को दोनों वाहनों में बैठाकर परिवादी के पीछे-2 दूरी बनाते हुये रवाना हुआ। तत्पश्चात उक्त रोड पर करीब एक किलो मीटर के करीब जाकर परिवादी ने अपनी मोटर साईकिल को रोड पर रोक दिया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी दोनों वाहनों को उनसे कुछ दूरी पर ही रोक कर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय 10.42 एएम पर परिवादी श्री रामजीलाल यादव पुत्र श्री रोहिताश यादव उम्र 35 साल जाति अहीर निवासी भैसलाना,ढाणा सुखावाली तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड ने मैन रोड सुदरपुरा ढाडा से मन् उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर व कॉल कर किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर अपने कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मैं आपके निर्देशानुसार मिरापुर फार्म चौक पर खडा था, इसके कुछ समय बाद श्री प्रमोद सामरिया पटवारी अपनी अल्टो गाडी नम्बर आर0जे0 32 सीए 7416 से चौक पर आये और अपनी गाडी साईड में खडी कर मेरे पास आये और मुझे कहा कि उधर चलते है। इस पर पटवारी जी मेरी मोटरसाईकिल पर बैठ गये और फिर हम दोनों मेरी मोटर साईकिल से उक्त चौक से मैन रोड सुदरपुरा ढाडा पर करीब एक किलोमीटर के लगभग आये तब मैने रास्ते में पटवारी जी से कहा कि मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ, तब पटवारी जी ने कहा कि बना रहा हूँ। फिर मैने कहा कि आपकी तय शुदा राशि की पहली किस्त के 40 हजार रूपये मेरे पास है, तब पटवारी जी ने कहा कि दे दो, तब मैने मोटर साईकिल को रोड पर साईड में रोककर अपनी पेन्ट की बाई जेब से पाऊडर युक्त रिश्वत राशि 40 हजार रूपये मय प्लास्टिक थैली के निकालकर पटवारी जी को दी तो इन्होने अपने बाये हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की सामने की बॉयी जेब में रख लिये और मुझे कहा कि आपका काम हो जायेगा। इसके बाद मैने आपको मौके अनुसार अपना निर्धारित ईशारा कर दिया। तत्पश्चात परिवादी अपने पास जिन्स की पेन्ट व टी-शर्ट पहने खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब यही श्री प्रमोद सामरिया पटवारी जी है जिन्होनें अभी-अभी मेरे से अपनी तयशुदा पहली किस्त की रिश्वत राशि 40,000/-रूपये अपने बाये हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस की पेन्ट की सामने की बॉयी जेब में रखे है, जो अभी इनकी जेब में ही है। इस पर वह व्यक्ति ट्रेप पार्टी को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। जिस पर स्टाफ सदस्यों से उस व्यक्ति को डिटेन कर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रमोद सामरिया पुत्र श्री गोकुल सामरिया उम्र 32 साल जाति मेघवाल निवासी ग्राम नवल कुशालपुरा, तहसील कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रमोद सामरिया से परिवादी श्री रामजीलाल यादव के पिता की पैतृक जमीन का एस0डी0एम0 कोर्ट पावटा द्वारा निर्णय करने पर कुरेजात रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश देने पर परिवादी से मांग सत्यापन दिनांक 29.04.2026 को मांग की गई 80 हजार रूपये रिश्वत राशि व अपनी मांग अनुसार आज रिश्वत राशि लेन देन के समय परिवादी से पहली किस्त के रूप में प्राप्त की गई रिश्वत राशि 40,000 रूपये बाबत पूछा गया कि आप परिवादी से उक्त रिश्वत राशि की मांग किस कार्य के लिए की गई है एंव आज परिवादी से उक्त 40,000 रूपये किस काम के लिये है तथा वह रूपये कहां पर है, तो आरोपी ने बताया कि मैने श्री रामजीलाल यादव से कोई रिश्वत की मांग नही की, यह दिनांक 29.04.2026 को मेरे पास समय करीब 02.00-02.30 पीएम के आस पास आया था और अपनी कुरेजात रिपोर्ट बनाने के बारे में बातचीत की थी, तब मैने इनको जल्दी ही बनाकर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था, लेकिन उस दिन मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की थी। इसके बाद इसने मेरे से कल दिनांक 05.05.2026 को भी जरिये मोबाईल वाट्सअप काल कर अपनी रिपोर्ट के बारे में बात की थी, लेकिन मै पत्थर गढी के कार्य में होने पर इनको नही मिलने के लिए कहा था। इसके बाद यह आज समय करीब 08.30 एएम पर मेरे मोबाईल पर वाट्सअप कॉल कर अपनी कुरेजात रिपोर्ट व जमीन के बारे में बात कर मिलने के लिए कहा तो मैने इनको समय करीब 10.30 एएम पर मिरापुर फार्म चौक पर मिलने के लिए कहा था। मै जब

इनको दिये हुये समय पर उक्त चौक पर आया तो यह मुझे चौक पर खडा हुआ दिखाई दिया। इस पर मै अपनी गाडी को साईड में खडा कर इसके पास आया, तब रामजीलाल ने मुझे कहा कि चलो जमीन दिखावो, तब मै इसकी मोटरसाईकिल पर बैठ गया और फिर हम दोनों चौक से सुदरपुरा ढाडा मैन रोड पर करीब एक किलो मीटर के करीब आये तब रामजीलाल ने रास्ते में मोटर साईकिल रोक कर मेरी जेब में जबरदस्ती कुछ रूपये डाल दिये मुझे नही पता की वह कितने है, जो अभी भी मेरी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बॉयी जेब में ही रखे हुये है। इस पर आरोपी को पूछा गया कि जब परिवादी आपकी जेब में जबरदस्ती रूपये डाले तो आपने इनकार क्यो नही किया। इस पर आरोपी चुप रहा। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री रामजीलाल यादव से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब प्रमोद पटवारी जी झूठ बोल रहे है मेरे पिताजी की पैतृक जमीन का बटवारा एस0डी0एम0 कोर्ट में पॉच छः वर्ष से चल रहा था जिसका निर्णय एस0डी0एम0 ने हमारे पक्ष में 20.06.2025 को जारी कर पटवारी को कुरेजात रिपोर्ट बनाकर आगामी दिनांक 24.07.2025 से पूर्व पेश करने के आदेश दिये, लेकिन पटवारी ने रिपोर्ट पेश नही की और मै इनसे मिला तो इन्होने मेरे से रिपोर्ट बनाकर एस0डी0एम0 कोर्ट में पेश करने के लिए एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की, जिसकी मेरे द्वारा आपके कार्यालय में शिकायत करने पर दिनांक 29.04.2026 को जब मै और आपका कानि0 मांग सत्यापन के लिए ग्राम पंचायत भैसलाना के कॉपरेटिव सोसायटी भवन में गये और मैने इनसे बात की तो पटवारी ने मेरे से मेरी कुरेजात रिपोर्ट एस0डी0एम0 कोर्ट में पेश करने के लिए एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की। इस पर मेरे द्वारा इनसे कम करवाने की विनती की तो इन्होने 80 हजार रूपये देने की कहकर उक्त रिश्वत राशि मेरे से तीन किस्तो में देने के लिए सहमत होकर पहली किस्त में 40 हजार रूपये लेने तथा शेष 40 हजार रूपये दो किस्तो में देने के लिए कहा। इस पर मैने इनको पहली किस्त के 40 हजार रूपये चार पॉच दिन में देने के लिए कहा तो इन्होने कहा ठीक है। इसके बाद मै इनको दिनांक 05.05.2026 को इनकी तय शुदा रिश्वत राशि की पहली किस्त के 40,000 रूपये देने के लिए आपके साथ आया और इनसे अपने मोबाईल से वाट्सअप कालॅ वार्ता की तो इन्होने पत्थर गढी में होना और कल मिलने के लिए कहा। इसके बाद आज समय करीब 08.30 एएम के लगभग मैने इनसे मेरे कार्य व इनकी तय शुदा रिश्वत राशि देने बाबत बात की तो इन्होने मुझे समय करीब 10.30 एएम पर मिरापुर फार्म चौक पर बुलाया। मै आपके निर्देषानुसार जब मिरापुर फार्म चौक पर खडा था तो पटवारी जी अपनी अल्टो गाडी से आये और अपनी गाडी खडी कर मेरे पास आये और मेरे मोटर साईकिल पर बैठ कर मुझे कहा कि उधर चलते है। इस पर पटवारी जी मेरी मोटरसाईकिल पर बैठ गये और फिर हम दोनों मेरी मोटर साईकिल से उक्त चौक से मैन रोड सुदरपुरा ढाडा पर करीब एक किलोमीटर के लगभग आये तब मैने रास्ते में पटवारी जी से कहा कि मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ, तब पटवारी जी ने कहा कि बना रहा हूँ। फिर मैने कहा कि आपकी तय शुदा राशि की पहली किस्त के 40 हजार रूपये मेरे पास है, तब पटवारी जी ने कहा कि दे दो, तब मैने मोटर साईकिल को रोड पर साईड में रोककर अपनी पेन्ट की बाई जेब से पाऊडर युक्त रिश्वत राशि 40 हजार रूपये मय प्लास्टिक थैली के निकालकर पटवारी जी को दी तो इन्होने अपने बाये हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की सामने की बॉयी जेब में रख लिये और मुझे कहा कि आपकी रिपोर्ट जल्दी ही तैयार कर देगे। इस पर पटवारी से रिश्वत राशि बाबत पुनः पूछा गया तो कुछ नही बोला एंव चुपचाप रहा। इसके बाद उक्त रोड के साईड में खेत रवि मीना के निर्माणाधीन मकान से साफ प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर श्री लल्लूराम कानि0 से दोनों गिलासों में सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो आरोपी के दोनों ही हाथों की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गैदमैला हो गया जिसे मौजूदगान ने देखकर गैदमैला होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R.1, R.2 व L.1, L.2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई । तत्पश्चात गवाह श्री राकेश कुमार से आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी की जामा तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने आरोपी के बदन पर पहनी हुई जींस की सामने की बाई जेब में प्लास्टिक की पोलीथीन की थैली में कुछ रूपये होना बताया। जिसको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनो गवाहन से गिनने एवं कार्यालय मे बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा तो दोनों गवाहान ने नोटों को प्लास्टिक की थैली से बाहर निकालकर गिनकर भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000/- रूपये एंव भारतीय मनोरजंन लिखे हुये 500-500 रूपये के 50 डमी नोट कुल 25,000 रूपये कुल 40,000 रूपये होना एंव उक्त नोटो में से भारतीय चलन मुद्रा के 15,000 रूपये के नोटों के नंबरों का फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर नोटो के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा उक्त भारतीय चलन मुद्रा व भारतीय मनोरजंन लिखे डमी नोटों तथा प्लास्टिक की थैली को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर सील मोहर कर संबंधितां के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात मौके पर सिंगल रोड होने व रोड पर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नही होने तथा वाहनों के आवागमन बहुत ज्यादा होने व गाडियों से लोग उतरकर भीड एकत्रित होने के कारण कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने को मध्यनजर रखते हुये आगे की

कार्यवाही पुलिस थाना प्रागपुरा में करने के लिए समय करीब 11.15 एएम पर आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी को सरकारी गाडी में बैठाकर व बाकी ट्रेप पार्टी सदस्यों को दोनों गाडियों में बैठाकर मय ट्रेप बाक्स स्टेशनरी लैपटॉप व जब्त शुदा आर्टीकल्स आदि के मौके से रवाना होकर समय करीब 11.45 पीएम पर पुलिस थाना प्रागपुरा पर पहुँचे। जहाँ पर आरोपी को वाहन से नीचे उतारकर पुलिस थाना के कम्प्युटर कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात पूर्व की भॉति उस प्लास्टिक की बोतल से पानी लेकर श्री लल्लूराम कानि0 से एक अन्य प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में आरोपी के बदन पर पहनी हुई जींस की पेन्ट बैरंग डार्क ग्रे को शालीनता पूर्वक आरोपी के बदन से उतरवाया जाकर आरोपी के मिलने वाले से मगवाया गया तथा लोवर पहनाया गया। इसके बाद उक्त पेन्ट की अन्य जेबो की गवाह राकेश से जामा तलाशी लिवाई गई तो सामने की दाहिनी जेब में एक मोबाईल एप्पल कम्पनी बैरंग स्काई ब्ल्यू मय सिम नम्बर तथा 250 रूपये नगद व अल्टो गाडी की चाबी मिली जो गवाह के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात आरोपी के बदन से उतरवाई गई जींस पेन्ट की सामने की बाई जेब जिससे रिश्वत राशि बरामद की गई थी को उल्टवाकर उसका धौवन लिया गया, तो धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धित ने देखकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P.1 व P.2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद उक्त पेन्ट जिसकी जेब से रिश्वत राशि बरामद की गई थी। उसकी उक्त जेब को अच्छी तरह सुखाकर उस पर लाल पेन से गोला कर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर थैली पर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अकिंत कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई, जिसकी अलग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती एसडी कार्ड/पैनड्राईव तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही की विभागीय मोबाईल में नया एसडी कार्ड लगाकर श्री शहरून कानि0 से विडियोंग्राफी करवाई गई। करवाई गई विडियोंग्राफी की मेमौरी कार्ड जब्ती व तैयार पेनड्राईव की फर्द पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी से परिवादी के पिता के नाम पैतृक जमीन के बटवारा के सम्बन्ध में एस0डी0एम0 कोर्ट पावटा द्वारा कुरेजात रिपोर्ट हेतु दिये गये आदेश की पत्रावली बाबत पूछा गया तो तहसील पावटा में गिरदावर के पास होना तथा उक्त आदेश गिरदावर द्वारा करीब एक माह पहले स्वंय को कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु अपने मोबाईल पर वाट्सअप करना तथा कुरेजात रिपोर्ट वर्तमान में स्वंय के पास पैण्डिंग होना बताया। इसके बाद परिवादी व आरोपी से आपसी रंजिश, दुश्मनी व उधार के लेन-देन बाबत पूछा तो दोनो ने ही इंकार किया।उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलाई पृथक् से तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी के कार्य से सम्बन्धित एस0डी0एम0 कोर्ट पावटा का कुरेजात रिपोर्ट से सम्बन्धित आदेश पत्रावली तहसील कार्यालय में गिरदावर के पास होने पर तहसीलदार पावटा को जरिये कॉल पेश करने बाबत कहा गया तो तहसीलदार ने लाकर पेश किये जो जरिये फर्द जब्त किये गये। इसके बाद समय करीब 02.30 पीएम पर आरोपी के मोबाईल नम्बर से परिवादी के मोबाईल पर जरिये वाट्सअप कॉल वार्ता किये गये कॉल तथा एस0डी0एम0 कोर्ट के आदेश की प्रति का स्क्रीन शॉट लिये जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया जाकर मोबाईल को जरिये फर्द जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तारी हेतु नोटिस दिया गया। इसके बाद समय करीब 03.15 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री रामजीलाल यादव के समक्ष वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी एवं परिवादी श्री रामजीलाल यादव के मध्य रूबरू हुई रिकार्ड वार्तालाप के रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड सहित लेपटॉप के डैस्कटॉप पर सेव कर उक्त सेव वार्ता को चालू कर टेबिल स्पीकर की मदद से रिकार्ड वार्ताओं को सुना जाकर श्री राजवीर सिंह कानि0 से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री रामजीलाल यादव द्वारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री राजवीर सिंह कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव सैनडिस्क हमराह लाये ट्रैप बॉक्स से निकलवाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK 32 GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड को वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जाकर लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बारी-बारी से हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैश वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात तीनों पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक की थैली मे रखकर थैली सहित पैनड्राईव को अलग-2 प्लास्टिक की छोटी डिब्बीयों में रखवाकर प्लास्टिक की डिब्बी सहित तीन पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर थैलियों पर मार्का B.1,B.2 व B.3 अंकित किया जाकर मार्क B.1 व B.2 को

सील्ड मोहर कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क B.3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। इसके बाद एसडी कार्ड को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD.1 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामजीलाल यादव पुत्र श्री रोहिताश यादव उम्र 35 साल जाति अहिर निवासी भैसलाना, ढाणी सुखावाली, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड से आरोपी द्वारा 40,000/-रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करने पर परिवादी से निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व सरकारी मोबाईल मे 32 जीबी सेनडिस्क मेमोरी कार्ड डालकर श्री शहरून कानि से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लेपटॉप मे सेव करवाया जाकर ट्रेप बाक्स से दो खाली पेनड्राईव 32 जीबी निकलवाकर करवाई गई वीडियो ग्राफी के बारी-बारी से तैयार करवाये गये। इसके बाद दोनों पेन ड्राईव का लेपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से बारी-2 से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी से मिलान होना पाया गया। तत्पश्चात पैन ड्राईव एवं वीडियोग्राफी में काम में लिये गये एसडी मेमौरी कार्ड की हैश वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री राजवीर सिंह कानि0 से निकलवायी जाकर हैश वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिबियो मे रखकर डीबियो को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमश V.1, V.2 अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V.1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एंव पेन डाईव मार्क V.2 को अनुसंधान हेतु खुली अवस्था मे रखा गया। तत्पश्चात मेमोरी कार्ड 32 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD.2 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद समय करीब 05.30 पीएम पर आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी, पटवार हल्का भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय करीब 06.00 पीएम परदोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड मोहर करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील जिस पर ACB ALW (32) लिखा हुआ है को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही श्री लल्लूराम कानि0 487 से तुडवाकर जरिये फर्द नष्ट करवाया गया। घटना स्थल का नक्ष मौका कशीद कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 07.50 पीएम पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 को जब्त शुदा समस्त आर्टीकल्स व सील्ड शुदा समस्त शीशियॅा व जब्त शुदा रिश्वती राशि नम्बरी 15000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा एंव 25,000 रूपये भारतीय मनोरजंन लिखे हुये डमी नोट कुल 40,000 रूपये को सुपुर्द किया जाकर जमा मालखाना करने की मुनासिब हिदायत कर दोनों स्वतन्त्र गवाहान व स्टाफ सदस्य श्री शहरून कानि0, श्रीमती मिनाक्षी महिला कानि0 को जरिये प्राईवेट वाहन के रवाना एसीबी कार्यालय भिवाडी के लिए किया जाकर साथ ही परिवादी को रूखस्त किया गया। आरोपी का मेडिकल मुआयाना करवाया गया। सम्पन्न की गई कार्यवाही से आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पटवारी, पटवार हल्का भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री रामजीलाल के पिता श्री रोहिताश यादव की पैतृक जमीन के बटवारे का एस0डी0एम0 कोर्ट पावटा द्वारा दिनांक 20.06.2025 को निर्णय कर आगामी दिनांक 24.07.2025 से पूर्व कुरेजात रिपोर्ट मय नक्से के पेश करने के आदेश दिये जाने के पश्चात आरोपी द्वारा परिवादी से उक्त कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर एस0डी0एम0 कोर्ट पावटा में पेश करने की एवज में मांग सत्यापन दिनांक 29.04.2026 को परिवादी से एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के द्वारा कम करवाने की विनती करने पर 80 हजार रूपये देने की कहकर उक्त रिश्वत राशि तीन किस्तो में देने के लिए सहमत होकर पहली किस्त में 40 हजार रूपये लेने तथा शेष 40 हजार रूपये दो किस्तो में देने के लिए कहना तथा अपनी उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 06.05.2026 को रिश्वत राशि लेन देन के समय परिवादी से 15,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के तथा 25,000 रूपये भरतीय मनोरजंन लिखे डमी नोट कुल 40,000 रूपये रिश्वत राशि अपने बायें हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस की पेन्ट की सामने की बाई जेब में रखना तथा उक्त रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बाई जेब से बरामद होने पर आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बखूबी प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पुत्र श्री गोकुल सामरिया उम्र 32 साल जाति मेघवाल निवासी ग्राम नवल कुशालपुरा, पोस्ट नारहेडा, तहसील कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। (परमेश्वर लाल), उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी।.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म

अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री प्रमोद सामरिया पुत्र श्री गोकुल सामरिया उम्र 32 साल जाति मेघवाल निवासी ग्राम नवल कुशालपुरा, पोस्ट नारहेडा, तहसील कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 735 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 736-39 दिनांक 07.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01 जयपुर 2- जिला कलक्टर, कोटपुतली-बहरोड 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/05/2026 19:18:58

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)